| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>डिगम्बर बनाम भरत सिंह वगैरा |
|---|---|
| 7/4/25 | पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है। पूर्वानुसार दिनांक 8/4/25 को पेश हो। |
| 8/4/25 | पत्रावली पेश हुई। अर्जी उभयपक्ष उक्त प्रार्थना पत्र प्राप्त खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली है। पत्रावली मिसल शुमार हो नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।<br>उपखण्ड अधिकारी<br>उच्चैन (भरतपुर) |

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारीः— सुश्री भारती गुप्ता (आर.ए.एस)

प्रार्थना पत्र कमांकः— 112/2024

1. दिगम्बर पुत्र फगुनी जाति जाटव निवासी नगला धौर तहसील उच्चैन जिला भरतपुर।
2. तोती
3. हरिश्चन्द्र
4. शिवचरन पुत्रान गुट्टी जातियान जाटव निवासी नगला धौर तहसील उच्चैन भरतपुर।

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. कमलसिंह
2. दिनेश
3. गोविन्द सिंह
4. नरेश चन्द दत्तक पुत्र पूरन जाति जाटव निवासी नगला धौर तहसील उच्चैन।
5. कलुआ पुत्र रामखिलाडी जाति जाटव निवासी नगला धौर तहसील उच्चैन।

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 आर.टी.ए.

उपस्थिति

1. श्री धर्मेन्द्र चौधरी एडवोकेट प्रार्थीगण
2. श्री मुकेश चन्द शर्मा एडवोकेट अप्रार्थीगण

दिनांकः—08.04.2025

## निर्णय

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र जरिये अधिवक्ता राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि हम प्रार्थीगण की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 262/2.02, 263/3.19 बाके ग्राम नगला धौर तहसील उच्चैन में स्थित है। उक्त विवादित आराजी हम प्रार्थीगण को हमारे पिताओं से प्राप्त हुई है एवं उक्त विवादित आराजी में हम सभी प्रार्थीगण सहखातेदार है एवं अपने पिताओं के जीवनकाल से आज तक निर्विवाद रूप से शान्ति पूर्वक काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। अप्रार्थीगण एवं उनके पिता द्वारा राजस्व कर्मचारियों से मिल्लत कर प्रार्थीगण के पिताओं की आराजी को न्यारानूर राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज अपने नाम करवा लिया एव हम प्रार्थीगण को उक्त इन्द्राज की जानकारी किसी भी प्रकार से नहीं होने दी एवं राजस्व रिकार्ड में हो रहे इन्द्राज के आधार पर अप्रार्थीगण उक्त आराजी को हडपने पर उतारू है। दिनांक 25.09.2015 को जब हम प्रार्थीगण उक्त आराजी खडी बाजरे की फसल को काट रहे थे तभी अप्रार्थीगण मौके पर आ गये हम प्रार्थीगण को आराजी से बेदखल करने की धमकी दी एवं उक्त आराजी को अन्य किसी दीगर व्यक्ति को रहन वय मुन्तकिल करने की धमकी दी जिसके कारण प्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में पेश किया है।

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगा0 4 ने जरिये अधिवक्ता जबाव पेश कर निवेदन किया है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 262/2.02, 263/3.19 वाके ग्राम नगला धौर तहसील उच्चैन अप्रार्थीगण संख्या 1 लगा0 4 के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी है जिस पर गैरसायलान का अपने वुजुर्गों के समय से कब्जा काश्त चला आ रहा है पूर्व में विवादित आराजी गैरसायला संख्या 1 लगा0 4 के बावा सुम्मेरी व उसके खास भाई सरमन की वाहिस्सा वरावर खुदकाश्त व मौरूसी की आराजी थी जिसपर उक्त सुम्मेरी व सरमन वाहिस्सा वरावर काविज काश्त थे। सरमन की मृत्यु लावल्द विला औरत हो गई और सरमन की मृत्यु के वाद विवादित आराजी पर वाहिद रूप से सुम्मेरी काबिज काश्त रहा है। सुम्मेरी वल्द चेतू की उक्त आराजी मौरूसी व खुदकाश्त की आराजी थी जिसपर राजस्थान कास्तकारी कानून के प्रभाव में आने पर उक्त सुम्मेरी को धारा 19 राजस्थान कास्तकारी कानून के तहत खातेदारी अधिकार मुताविक नामान्तरण संख्या 197 प्रदान किये गये तथा गैरसायलान के बाबा सुम्मेरी वल्द चेतू को तत्कालीन राजस्व रिकार्ड में खातेदार काश्तकार के रूप में दर्ज किया गया जिसके वाद से उक्त आराजी पर गैरसायलान के बाबा सुम्मेरी का विवादित आराजी पर वाहैसियत खातेदार काश्तकार कब्जा काश्त रहा है। सायलान के पूर्वज गुट्टी व फगनी का विवादित आराजी के किसी भी हिस्से से कभी कोई सम्वन्ध किसी प्रकार से नहीं रहा ना ही उनका कभी कोई कब्जा विवादित आराजी पर रहा है। गैरसायलान के बाबा सुम्मेरी की मृत्यू के पश्चात गैरसायलान के पिता वुद्धी तथा चाचा पूरन बिवादित आराजी पर काबिज काश्त हुये। पूरन के कोई संतान पैदा नहीं हुई और पूरन ने अप्रार्थी संख्या 4 को गोद लिया। पूरन व वुद्धी की मृत्यु के पश्चात विवादित आराजी पर गैरसायलान संख्या 1 लगा0 4 वाहैसियत खातेदार काश्तकार काविज है तथा दर्ज राजस्व रिकार्ड है। विवादित आराजी पर सायलान का कभी कोई काब्जा काश्त नहीं रहा है। प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने का निवेदन किया है। अप्रार्थी संख्या 5 वावजूद सूचना के हाजिर नहीं होने के कारण दिनांक 4.9.2024 को इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

अभिभापक उभयपक्ष की वहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 262,263 सम्बत् 2010 से 2018 तक प्रार्थी संख्या 1 के बावा व प्रार्थी सं. 2,3,4 के पिता के नाम दर्ज रिकार्ड थी एवं सम्वत् 2012 के पूर्व से लेकर आज तक कब्जा प्रार्थीगण का है। अप्रार्थीगण ने उक्त आराजी का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में बिना प्रार्थीगण की जानकारी एवं बिना किसी आदेश के अपने नाम करवा लिया है। अप्रार्थीगण को ताफैसला बाद अस्थाई निषेधज्ञा से पाबंद किये जाने का निवेदन किया है।

अभिभापक अप्रार्थीगण ने जवाव प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि उक्त विवादित आराजी अप्रार्थीगण के पूर्वजों की खुदकाश्त एवं गैर मौरूसी की आराजी है। जिनको म्यूटेशन के आधार पर खातेदार घोषित किया गया है। उक्त आराजी पर प्रार्थीगण का कभी भी कब्जा नहीं रहा है ना ही प्रार्थीगण का कब्जा उक्त आराजी पर साबित होता है। प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने का निवेदन किया है। अभिभाषक प्रार्थीगण ने बहस

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)

अप्रार्थीगण का जबाव देते हुये निवेदन किया है कि अप्रार्थीगण के द्वारा कोई भी राजरा पेश नहीं किया गया है। अप्रार्थीगण सुमरी की मृत्यु सम्बत् 2010 में होना बताते है ऐसी स्थित में सम्बत् 2012 में उनको खातेदारी अधिकार कैसे दिये जा सकते है। प्रार्थीगण के द्वारा विवादित आराजी पर कब्जा साबित करने हेतु गिरदावरी पेश की गई है। प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

मेरे द्वारा उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया प्रार्थना पत्र एवं प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में प्रथमदृष्टया विषयवस्तु (प्राईमाफेसी केस) को समझना आवश्यक है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण उक्त विवादित आराजी के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार नहीं है जिसके कारण उक्त विवादित आराजी में प्रार्थीगण के हक निहित होना स्पष्ट नहीं है। अप्रार्थीगण उक्त विवादित आराजी में रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है इस प्रकार प्रकरण में मजबूत प्रथमदृष्या विषयवस्तु/विवाद कारण उत्पन्न होना प्रतीत नहीं होता है

प्रकरण में अब प्रार्थीगण को होने वाली अपूरणीय क्षति को समझना आवश्यक है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण उक्त आराजी में रिकार्डेड सहखातेदार है। यदि अप्रार्थीगण को जरिये स्थाई निषेधज्ञा से पाबंद किया जाता है तो अप्रार्थीगण के अधिकारों पर नकारात्मक प्रभाव पडने की प्रवल सम्भावना है। इस प्रकार प्रकरण में प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होना प्रतीत नहीं होता है।

प्रकरण में अब सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में झुकाव रखने के बारे में समझना आवश्यक है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी उक्त विवादित आराजी में रिकार्डेड खातेदार काश्तकार नहीं है। उक्त प्रकरण में प्रार्थीगण विवादित आराजी पर अपना कब्जा साबित करने में असफल रहा है। इस प्रकार प्रकरण में अस्थाई निषेधज्ञा जारी होने से अप्रार्थीगण को होने वाली असुविधा की तुलना में प्रार्थीगण को होने वाली असुबिधा अधिक प्रतीत नहीं होने से सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत नहीं होता है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रार्थी का प्रकरण में प्राईमाफेसी केस, अपूर्णीय क्षति एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं होने के कारण उक्त आराजी पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

**अतः आदेश हैः—**

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 08.04.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

भारती गुप्ता (आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन भरतपुर